



Phone : 0657-2299810 (O)

Lal Bahadur Shastri Memorial College

KARANDIH, JAMSHEDPUR - 831 002

A CONSTITUENT UNIT OF KOLHAN UNIVERSITY, CHAIBASA

Ref. No. LBSMC/Inter/37/2021

Date 06/03/2021


आवश्यक सूचना

(इंटरमीडिएट कक्षा—XI के पंजीयन एवं कक्षा—XII)
के परीक्षा प्रपत्र भरने के संबंध में

इंटरमीडिएट कक्षा—XI (सत्र—2020—22) के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने महाविद्यालय में नामांकन लिया है, परंतु अभी तक अपना पंजीयन (Registration) प्रपत्र नहीं भरा है तथा इंटरमीडिएट कक्षा—XII (सत्र—2019—21) के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक अपना परीक्षा प्रपत्र नहीं भरे हैं उन्हें जैक, राँची के द्वारा पूर्व निर्धारित विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त विशेष विलम्ब शुल्क रू0 500 /— के साथ एक अवसर दिनांक—12.03.2021 तक विस्तारित किया गया है ।

संलग्नक— झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की विज्ञप्ति
संख्या— 10 / 2021, दिनांक—05.03.2021


इंटर इंचार्ज


प्राचार्य



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सत्र 2020-22 के माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नियमित एवं स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन तथा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2021 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या -/2021

एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या 32/2020 तथा 33/2020 एवं 51/2020 तथा 52/2020 के क्रम में सभी संबंधितों को सूचित कि जाता है कि सत्र 2020-22 के माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पंजीयन तथा सत्र 2019-21 के माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किया गया था। ऑनलाइन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। पि भी कतिपय छात्र/छात्राओं द्वारा पंजीयन/परीक्षा आवेदन प्रपत्र छूट जाने के कारण स्वीकार करने का अनुरोध किया जा रहा सम्यक् विचारोपरान्त परिषद् द्वारा एक अन्तिम मौका देने का निर्णय लिया गया है। यह अवसर ऑफलाइन होगा।

छूटे हुए छात्र/छात्राओं के पंजीयन या परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 15.03.2021 तक परिषद् कार्यालय, राँची में पूर्व निर्धारित विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त विशेष विलम्ब शुल्क 500/- रुपये प्रति छात्र/छात्रा के साथ स्वीकार किया जाएगा। ये पंजीयन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी से अग्रसारित होना आवश्यक होगा।

विज्ञप्ति संख्या 32/2020 तथा 33/2020 एवं 51/2020 तथा 52/2020 की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

JAC/बत/3620/20 - Secy/156/21